न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 09/2015

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु जिला बाड़मेर		आसूराम पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी गेहूँवाला बायतु भीमजी पुलिस थाना बायतु

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. विप्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 19.5.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.10.2015 को 3.30 ए.एम. पर रात्रि गश्त के दौरान् बोलेरो केम्पर संख्या आर.जे.04 जीए 3907 में लोहे के 4 ड्रमों मे नीला केरोसीन भरा हुआ पाया। पुलिस को देखकर वाहन चालक रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में नीले केरोसीन से भरे हुए लोहे के 4 ड्रमों का अवैध परिवहन करना पाये जाने के कारण वाहन को कब्जे में लिया जाकर रूबरू मौतबिरान के जांच प्रारम्भ की गई। चारो ड्रमों को खोलकर उसमें भरे तरल पदार्थ को कांच की जार में देखने, सूंघने व जांच करने पर क्रमशः 190, 205, 195 व 198 लीटर कुल 788 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। इस पर प्रार्थी ने 788 लीटर केरोसीन एवं वाहन बोलेरो केम्पर संख्या आर.जे.04 जीए 3907 बरामद कर, इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये। पुलिस

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा बरामद बोलेरो केम्पर संख्या आर.जे.04 जीए 3907 को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर वाहन मालिक के खास मुख्तियार आसूराम पुत्र दौलाराम को सुपुर्द करने के आदेश पारित किये गये।

3. विप्रार्थी के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु प्रर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया, फलस्वरूप विप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक तीन बार अलग–अलग समय में आवाजे लगाई गई, परन्तु हाजिर नहीं आये। यह पत्रावली तारीख 7.11.2016 से बहस में चल रही है। अतः बहस एक तरफा सुनी गई।

4. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर का यह तर्क हैं कि विप्रार्थी द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैघ रूप से बोलेरो केम्पर में परिवहन कर ले जाया जा रहा था। वक्त बरामदगी विप्रार्थी के पास केरोसीन रखने एवं परिवतन करने का कोई वैध लाईसेंस एवं परमिट नहीं पाया गया। इसलिऐ बरामद केरोसीन व केरासीन के उपयोग में लिये गये वाहन को जब्त सरकार किया जाऐ।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विप्रार्थी के बोलेरा केम्पर संख्या आरजे 04 जीए 3907 से दिनांक 10.10.2015 को 788 लीटर नीले रंग का केरोसीन अवैध रूप से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। बरामद किये गये केरासीन को रखने हेतु विप्रार्थी के पास वक्त बरामदगी कोई अनुज्ञा पत्र अथवा परमिट नहीं पाया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी ने अपने बचाव पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं किया एवं बहस के दौरान् विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। विप्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से केरोसीन को कालाबाजारी में बेचने हेतु अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। नीले रंग का केरासीन उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है। यह केरासीन खुले बाजार में विक्रय नहीं किया जा सकता। इस केरोसीन को केवल अनुज्ञाधारी व्यक्ति ही राशन कार्डधारियो को विक्रय कर सकता है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति नीले रंग के केरोसीन को न तो रख सकता है एवं न ही विक्रय कर सकता है। परन्तु इस प्रकरण में विप्रार्थी ने बिना अनुज्ञापत्र व परमिट के नीले रंग के केरासीन का संग्रह कर, क्लॉज 3 के सबक्लॉज 2 का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 788

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

लीटर नीले रंग का केरोसीन एवं इसके उपयोग में लिया गया बालेरो केम्पर संख्या आरजे ए4 जीए 3907 जब्त सरकार करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी से बरामद 788 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय ड्रम एवं वाहन बोलेरो केम्पर संख्या आरजे 04 जीए 3907 राजसात (**CONFISCATE**) किया जाता है। चूंकि बरामद 788 लीटर केरोसीन एवं ड्रमो का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि रूपये 15415/– राजकोष में जमा हो। बरामद वाहन बोलेरो केम्पर संख्या आरजे 04 जीए 3907 वाहन मालिक आसूराम पुत्र दौलाराम को सुपुदर्गीनामा एवं जमानतनामा पर सुपुर्द किया हुआ है। वाहन मालिक आसूराम निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जब्त केरोसीन की राशि रूपये 15415/– राजकोष में जमा करावें। म्याद गुजर जाने के बाद यदि आसूराम राशि जमा नहीं कराता है तो थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु उक्तः वाहन कब्जे में लेकर नियमानुसार वाहन नीलामी की कार्यवाही करेगें। उक्त निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु भेजी जाए।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 19.5..2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)